उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

रिट याचिका संख्या –848 / 2008 (एम0एस0)

कुमाऊं विश्वविद्यालय..... याचिकाकर्ता

बनाम

हरीश चंद्र पांडेय आदि..... उत्तरदातागण।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता– वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरद शर्मा, सहायक अधिवक्ता सुश्री वंदना सिंह

उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता– वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी.सी.पांडे, सहायक अधिवक्ता श्री बी.डी.पांडे।

माननीय न्यायाधीश, आलोक सिंह

मूल वाद संख्या 59 / 2001 के प्रतिवादी, श्री हरीश चन्द्र पाण्डे और अन्य बनाम श्री बी0डी0 पाण्डे और अन्य, जो कि सिविल जज (सी0डी0), के न्यायालय में लम्बित है, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 / 227 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस अदालत में दाखिल किया है और विचारणीय न्यायाधीश, द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2008 पर आपत्ति जताई है, जिसके तहत् आवेदन दिया गया है। प्रतिवादी / याचिकाकर्ता द्वारा यहां पेपर संख्या 78–सी में विचारणीय न्यायाधीश से वादी द्वारा पी0डब्ल्यू0–3 के शपथ के साथ दाखिल किए गये दस्तावेजों को खारिज करने का अनुरोध किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया।

अन्य तथ्यों के अतिरिक्त, प्रस्तुत मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि वादी ने ओ0एस0 संख्या–59 / 2001, न्यायालय सिविल जज (सी0डी0), नैनीताल की प्रस्तुत किया है और प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गयी है कि वह प्रश्नतगत सम्पंति पर वादी के कब्जे में किसी भी माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप न करे और आगे प्रतिवादी को सौंपने का निर्देश दे। विचारणीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्रतिवादी के अवैध कब्जे को हटाने के बाद प्रतिवादी को संपत्ति के भाग का शांतिपूर्ण खाली कब्जा वादी को सौंपना होगा।

वाद बिन्दु विरचित करने के उपरान्त, वादी ने पी0डब्ल्यू0–1 और पी0डब्ल्यू0–2 का शपथ पत्र दाखिल किया, जिनकी प्रतिपरीक्षा की गयी थी और उसके बाद पी0डब्ल्यू0–3 अर्थात् श्री जे0सी0 त्रिपाठी का शपथपत्र दाखिल किया गया था, जिसमें 35 दस्तावेज संलग्न थे। प्रतिवादी / याचिकार्तागण ने एक प्रार्थना पत्र संख्या 78–सी प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि पी0डब्ल्यू0–3 के शपथ पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज को कभी भी सूची में उल्लिखित नहीं किया गया था और ना ही

आदेश 7 नियम, 14 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उनकी प्रतियां दाखिल की गयी थीं। चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 13, नियम 1 के अन्तर्गत विरचित वाद बिन्दु पर या उसके पहले कोई भी दस्तावेज कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया था इसलिए वादी को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अतः पी0डब्ल्यू0–3 के शपथ पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज वादी को वापस किये जाने चाहिए।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद यह, यहां दिए गये आदेश के तहत, प्रतिवादी द्वारा दिए गए आवेदन, दस्तावेज नम्बर 78–सी को खारिज करने में प्रसन्नता व्यक्त की। प्रार्थना पत्र को खारिज करने हुए, विद्वान अवर न्यायालय ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 4 आदेश 18 के प्रावधान के अनुसार, गवाहों के शपथ पत्र के साथ दस्तावेज दाखिल किए जा सकते हैं, हालांकि दस्तावेजों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता को बाद के चरण में देखा जा सकता है।

व्यथित होकर, प्रतिवादी/याचिकाकर्ता ने इस याचिका को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मेरे द्वारा प्रतिवादी/याचिकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिक्ता श्री शरद शर्मा, सहायक सुश्री वंदना सिंह और वादी/उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी0सी0 पांडे, सहायक श्री बी0डी0 पांडे को सुना और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

सिविल प्रक्रिया संहिता में 1999 के संशोधन से पहले, जिसे 2002 से लागू किया गया था, वादी और प्रतिवादी को वाद बिन्दुओं के निर्धारण या उससे पहले दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करने की आवश्यकता थी और अतिरिक्त साक्ष्य सी0पी0सी0 के आदेश 18 के नियम 17ए के तहत न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत किएजा सकते थे। सी0पी0सी0 में 1999 के संशोधन के बाद, आदेश 18 के नियम 17ए को निरस्त कर दिया गया और आदेश 7 नियम 14, आदेश 8 नियम 1–ए और आदेश 13 नियम 1 को निम्नानुसार पढ़ा गया है:–

"आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता – जिस दस्तावेज के आधार पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है, उसका पेश किया जाना ––

(1) जहां वादी अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति में की दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है, या दस्तावेज पर विश्वास करता है, वहां वह ऐसे दस्तावेजों की सूची बनाएगा और वाद पत्र पेश उपस्थित किया जाने के समय उसे न्यायालय में पेश करेगा

और उसी समय दस्तावेज को या उसकी प्रति को वाद पत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए परिदत करेगा।

(2) जहां कोई ऐसा दस्तावेज वादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है, वहां वह, जहां कहीं, संभव हो, या अधिकथित करेगा कि किसके कब्जे या शक्ति में वह है।

(3) ऐसा दस्तावेज जिसे वादी द्वारा न्यायालय में तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वह पत्र प्रस्तुत किया जाता है, या वाद पत्र में जोड़ी जाने वाली या उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट किया जाना है, किंतु तदनुसार, प्रस्तुत या प्रविष्ट नहीं किया क्या जाता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(4) इस नियम कोई बात उस दस्तावेज को लागू नहीं होगी, जो वादी के साक्ष्यो प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किया गया है, या साक्षी केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए सौंपा गया है।

(आदेश 8 नियम 1–ए प्रतिवादी का उन दस्तावेजों को पेश करने का कर्त्तव्य जिनके आधार पर उसने अनुतोश का दावा किा या जिन पर उसने निर्भर किया–

(1) जहां प्रतिवादी अपनी प्रतिपरीक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में किसी दस्तावेज जो उसके कब्जे या शक्ति में है पर अपनी प्रतिपरक्षा आधारित करता है या पर निर्भर करता है, वहां वह ऐसे दस्तावेज को एक सूची में प्रविष्ट करेगा और न्यायालय में उसके समक्ष पेश करेगा, जब उसके द्वारा लिखित कथन उपस्थित किया जाता है और व लिखित कथन के साथ दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज या उसकी प्रति उसी समय परिदत्त करेगा।

(2) जहां ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है, वहां वह, वहां तक सम्भव हो, यह अधिकथित करेगा, कि वह किसके कब्जे या शक्ति में है।)

(3) इस नियम के अन्तर्गत एक दस्तावेज जो प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था परन्तु इस तरह प्रस्तुत नहीं किया, उसे वाद की सुनवाई पर उसकी ओर से न्यायालय की अनुमति के बिना साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(4) इस नियम में की कोई बात उन दस्तावेजों को नहीं लागू होगी–

(ए) जो वादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश की गयी हो; या

(बी) जो साक्षी को केवल अपनी स्मृति ताजा करने के लिए सौंपी गई हो।

आदेश 13 नियम 1 मूल दस्तावेजों का विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उससे पूर्व पेश किया जाना–

(1) पक्षकार या उनके प्लीडर विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पूर्व सभी मूल दस्तावेजें पेश करेंगे, जहां उनकी प्रतिलिपि वादपत्र या लिखित कथन के साथ दाखिल की गई हो।

(2) न्यायालय इस तरह प्रस्तुत दस्तावेजों को लेगा–

परन्तु तब जबकि उनके साथ उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित प्ररूप में तैयार की गयी सही सही सूची हो।

(3) उपनियम (1) की कोई बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी, जो–

(ए). दूसरे पक्षकार के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए पेश किये गये हैं, अथवा

(बी). किसी साथी को उसकी स्मृति ताजा करने के लिए दिये गये हैं।

आदेश 7 नियम 17 और आदेश 8 नियम 1–ए के अवलोकन से पता चलता है कि 2002 से प्रभावी संशोधन 1999 के बाद, मुकदमें के पक्षकार ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियों के साथ–साथ अपनी सम्बंधित दलीलों के साथ दस्तावेजी साक्ष्य की सूची दाखिल करेंगे।

हालांकि, आदेश 13 नियम 1 को पढ़ने से यह प्रदर्शित होगा कि मूल दस्तावेज, जिनका सूची में उल्लेख किया गया था और उनकी प्रतियां नियम 14 आदेश 7 और आदेश 8 नियम 1–ए के अनुसार प्रारंभिक चरण में दलीलों के साथ दायर की गयी थी। वाद–बिन्दुओं के विरचित पर या उससे पहले विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया जाएगा। सी0पी0सी0 के आदेश 7 नियम 14 के उपनियम 3 के अनुसार साथ ही सी0पी0सी0 के आदेश 8 के नियम 1–ए के उपनियम 3 पक्ष वाद के अगले चरण में न्यायालय की अनुमति से अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल कर सकता है, जो पहले दायर नहीं किया गया था और दलीलों के साथ दायर सूची में उल्लिखित है।

आदेश 7 नियम 14 के उप–नियम 3 के तहत या सी0पी0सी0 के आदेश 8 नियम 1–ए के उप–नियम 3 के तहत, जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर रखने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगने वाले पक्ष को दिखाना होगा। न्यायालय ने पूछा कि दायर किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य को उचित स्तर पर रिकॉड्ड पर क्यों नहीं रखा गया और मामले के निष्पक्ष निर्णय के लिए अतिरिक्त साक्ष्य क्यों आवश्यक हैं?

संतुष्ट होने के बाद, न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दे सकती है।

आदेश 13 के नियम 1 के उप–नियम 3(ए) में प्रावधान है कि जिस दस्तावेज को जिरह के उद्देश्य से या गवाहों की स्मृति को ताजा करने के लिए दायर किया जाना है, उसे वाद–बिन्दुओं के निर्धारण पर या उससे पहले दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आदेश 18 नियम 4 के प्रावधान को आदेश 13 के नियम 1 के प्रावधान के साथ पढ़ा जाए, तो यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि गवाहों के शपथ पत्र के साथ केवल वही दस्तावेज दाखिल किए जा सकते हैं जो गवाह की याददाश्त को ताजा करने या प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से हों।

हालांकि, अन्य सभी दस्तावेजी साक्ष्यों का उल्लेख सूची में किया जाना चाहिए और उनकी प्रतियां सी0पी0सी0 के आदेश 7 के नियम 14 और आदेश 8 नियम 1–ए के तहत विचार के अनुसार दलीलों के साथ दायर की जानी चाहिए और उसके मूल को आदेश 13 नियम 1 सी0पी0सी0 द्वारा आपेक्षित वाद–बिन्दुओं के विरचित पर या उससे पहले रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। जैसा कि यहां पहले देखा गया है, अतिरिक्त साक्ष्य केवल न्यायालय की अनुमति से ही दाखिल किया जा सकता है।

वादी/प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री बी0सी0 पांडे ने निष्पक्ष रूप से कहा कि पी0डब्ल्यू0–3 के शपथ पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले सभी दस्तावेज गवाहों की स्मृति को ताजा करने या प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से नहीं हैं। हालांकि उनका कहना हे कि चूंकि वादी पत्र संख्या 78–सी के आवेदन को खारिज करने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा शपथ पत्र पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए ऐसे अतिरिक्त सूबतों को रिकॉर्ड पर रखने की न्यायालय की अनुमति को निहितार्थ के रूप में समझा जाना चाहिए।

मेरी राय में अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए किसी निहित अनुमति का कोई प्रश्न ही नहीं है। वाद के पक्षकारों को आदेश 7 नियम 14 के उपनियम 3 या आदेश 8 के नियम 1ए के तहत आवेदन करना होगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपेक्षित आदेश कानूनी की दृष्टि में मान्य नहीं है। इसलिए आपेक्षित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रस्तुत याचिका में लागू आदेश को निरस्त किया जाता है।

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि वादी प्रतिवादी सी0पी0सी0 के आदेश 7 नियम 14 के उपनियम 3 के तहत उचित आवेदन दे सकता है। अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए विचारण न्यायालय से अनुमति मांगी गयी है, जिन्हें पी0डब्ल्यू0 3 के शपथ पत्र के साथ दाखिल करने की मांग की गयी है और प्रतिवादी याचिकाकर्ता को उस आवेदन का जवाब दाखिल करने का अवसर देने के बाद विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा।

आसान लागत,

(न्यायाधीश, आलोक सिंह)

दिनांक 19 मार्च 2014
शिव